दैनिक भास्कर

भोपाल, रविवार 05 जनवरी, 2020 | 13

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016
फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742
E-mail : hsmd117@gmail.com

क्रमांक 1032 /प्रनिबो/ज.स./2020 भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

(ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016)

इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उत्पादक(Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयतकों (Importers) को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्ति के लिये आवेदन प्रस्तुत करने हेतु वैधानिक सूचना दी जाती है कि ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 में उल्लेखित नियम 5[1(d)] के प्रावधान के अनुसार शेड्यूल-I में अधिसूचित इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माता (Producer) को उनके उत्पादों को End of life होने पर पुनः संग्रहण करना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत् विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिये प्रारूप-1 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आवेदन करना एवं नियम-5 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार समस्त उत्तरदायित्वों का पालन करना अनिवार्य है। Extended Producer Responsibility Authorization अथवा उत्पादक (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयतकों (Importers) के अधिकृत सर्विस सेन्टर, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार रिफरबिशर की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं अतः रिफरबिशर को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियम-8(2) के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली द्वारा प्रचलित प्रकरण क्रमांक OA No. 512/2018 शैलेश सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेशों के पालनार्थ मध्यप्रदेश राज्य में स्थित इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के उत्पादकों (Producers), ब्रांड स्वामियों (Brand Owners)/आयातकों (Importers) आदि को निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली से ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के प्रावधान अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करके मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल को अवगत करावे। उत्पादक (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयतकों (Importers) द्वारा आवेदन नहीं करने एवं Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त नहीं होने पर उनके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 एवं संबंधित दिशा निर्देशों का विस्तृत विवरण बोर्ड की कार्यालयीन वेवसाइट **http://www.mppcb.nic.in/ewasteng.htm** पर उपलब्ध है।

सदस्य सचिव

म.प्र. माध्यम/96326/2020